न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ, जिला बॉसवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री विजयेश कुमार पण्ड्या (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 08/2020

दायर दिनांक– 22.09.2020
निर्णय दिनांक– 23.12.2020

1. देवचन्द पाता चतुरी जाति भील भील आयु वयस्क निवासी ग्राम पोटलिया तहसील कुशलगढ
2. हुकिया माता चतुरी जाति भील भील आयु वयस्क निवासी ग्राम पोटलिया तहसील कुशलगढ
3. कपुरी पुत्री खातरा जाति भील भील आयु वयस्क निवासी ग्राम पोटलिया तहसील कुशलगढ

बनाम

1. भूमिधारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार, कुशलगढ।
2. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा कुशलगढ।
3. मण्डल प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा उदयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

प्रार्थीगणों की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पोटलिया तहसील कुशलगढ के खाता संख्या 114 खेत खसरा नम्बर 34/1, 35, 36, 352, 617, 618 एवं 619 कुल खेत 7 कुल रकबा 7.04 एकड़ कुल लगान 5.86 रुपया कृषि भूमि के खातेदार होकर काबिज है। उक्त खाते में दिनांक 03.10.2006 को मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जरिये नामान्तरण संख्या 575 दिनांक 21.01.2009 को नामान्तरण खोला गया जिसके अनुसार उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि के रहन होने का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किया गया है। जबकि प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि पर कभी भी किसी प्रकार से अप्रार्थीगण बैंक को रहन नहीं रखा गया है और ना ही बैंक से कोई लोन लिया गया है। नामान्तरण पंजिका में भी ऋण स्वीकृत करने वाली शाखा का कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त नामान्तरण में रहन का इन्द्राज किए जाने से प्रार्थीगणों के स्वामित्व व खातेदारी कृषि भूमि के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में जरिये नामान्तरण किए गए रहन के इन्द्राज को हटाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी 2 व 3 बाद तामिल भी उपस्थित नहीं होकर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार कुशलगढ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खाते में रहन दर्ज पाई गई। प्रार्थी ने आईसीआईसीआई बैंक शाखा कुशलगढ से दिनांक 18.11.2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें बैंक ने उनकी शाखा से रहन नहीं होना बताया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नामान्तरण संख्या 575 का भी अवलोकन किया गया जिसमें रहन का उल्लेख तो पाया गया पर किस शाखा से रहन है का इन्द्राज नहीं है। प्रार्थी के द्वारा भी यह कहा गया है कि उसके द्वारा कोई [illegible] नहीं लिया गया है। प्रार्थी के नजदीक की शाखा द्वारा भी अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की है। उपरोक्त अबवाली पर प्रार्थीगणों की कृषि [illegible] बैंक में रहन होना नहीं पाया जा रहा है।

अतः प्रार्थीयों का प्रार्थना पत्र [illegible] पोटलिया पटवार क्षेत्र पोटलिया की वर्तमान जमाबन्दी के खाता नम्बर 114 नया 91 पुराना [illegible] देवचन्द [illegible] माता चतुरी 1/2 कपुरी पुत्री खातरा 1/2 भील सा देह खातेदार रहन किला कब्जा LC [illegible] किया जाकर देवचन्द हुकिया माता चतुरी 1/2 कपुरी पुत्री खातरा 1/2 भील सा देह खातेदार किए जाने [illegible] आदेश दिए जाते [illegible] तहसीलदार कुशलगढ तदानुसार खाता शुद्धि कर अमलदरामद करें।

उक्त आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को न्यायालय मुहर से जारी किया गया।

23/12/2020

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2021.01.06 14:47:55 IST
Reason: SelfAttested